राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (R–405) अलेसे– I/2894 दिनांकः 20/03/2023

आदेश

विभागीय आदेश संख्या 103/2022–23 दिनांक 09.12.2022 (क्रम संख्या 02) के द्वारा श्री राम बाबू गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गए थे, लेकिन तत्समय इनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16/18 में संयुक्त जांच विचाराधीन होने के कारण इन्हें "जांच बकाया नहीं" होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। शासन उप सचिव, कार्मिक (क–3/जांच) विभाग के आदेश क्रमांक प.1(298)कार्मिक/क–3/जांच/2017 दिनांक 16.03.2023 के द्वारा इनके विरूद्ध विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है।

अतः वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री राम बाबू गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, कार्यालय, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर के विरूद्ध आज तक :–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 18 के अधीन कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.2 (क) (R–405) अलेसे– I/2895-2901 दिनांकः– 20/03/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. कार्यालय, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर।
4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, अलवर।
5. श्री राम बाबू गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, कार्यालय, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि पेंशन प्रकरण के निस्तारण हेतु आपके अन्तिम पदस्थापन कार्यालय में आवश्यक पत्रादी प्रस्तुत करें।
6. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी सचिव निदेशक महोदय।

(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– I)